



म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
रेरा भवन, अरेरा हिल्स, मेन रोड न. 1 भोपाल

क्रमांक: 1945/आदेश/रेरा/2020

भोपाल, दिनांक: 13/02/2020

आदेश

पंजीकृत परियोजनाओं के प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई समयावधि में विस्तार हेतु प्राप्त आवेदनों पर अधिरोपित किये जाने वाले शुल्क का निम्नानुसार पुनः निर्धारण किया जाता है:-

1. पूर्णता दिनांक समाप्ति के 03 माह के पूर्व आवेदन करने पर :- सामान्य शुल्क (10 रु प्रतिवर्ग मीटर प्रति वर्ष)
2. पूर्णता दिनांक समाप्ति के पूर्व 03 माह के भीतर की अवधि में आवेदन करने पर :- सामान्य शुल्क + पूर्व 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क
3. पूर्णता दिनांक समाप्ति के पश्चात से 03 माह के भीतर की अवधि में आवेदन करने पर :- सामान्य शुल्क + 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क
4. पूर्णता दिनांक समाप्ति के पश्चात 03 से 06 माह के भीतर की अवधि में आवेदन करने पर:- सामान्य शुल्क + 75 प्रतिशत विलम्ब शुल्क
5. पूर्णता दिनांक समाप्ति के 06 माह के पश्चात की अवधि में आवेदन करने पर :- सामान्य शुल्क + 100 प्रतिशत विलम्ब शुल्क

नोट:- उक्त शुल्क उन परियोजनाओं पर लागू होगा जिनकी पूर्णता तिथि 01 जनवरी 2020 तथा उसके पश्चात हैं।

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आदेशित)

सचिव

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण